न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 610–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–10–2013 पारित द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद प्रकरण कमांक 218/अपील/11–12.

श्रीमती रंजना बाई उर्फ राजकुमारी
पत्नि कमलेश नायक पुत्री रविशंकर साहू
हाल निवास देहलाखारी तहसील तामिया
जिला छिंदवाडा

...........आवेदिका

विरूद्ध

श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नि रामगोपाल नायक
निवासी ग्राम चांदोन तहसील बनखेडी
जिला होशंगाबाद

.........अनावेदिका

श्री एस0एस0 पटेल, अभिभाषक, आवेदिका
श्री एस0 के0 श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदिका

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 25/8/15 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश 31–10–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका द्वारा संहिता की धारा 109/110 के अंतर्गत तहसीलदार, बनखेडी के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत

किया गया कि मौजा सुरेलारंधीर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 255/3 रकबा 9 एकड़ भूमि मृतक कमलेश कुमार के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज चली आ रही है । कमलेश कुमार अनावेदिका का पुत्र था, जिसकी मृत्यु दिनांक 5–3–2006 को हो गई है और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत वह प्रथम श्रेणी के वारिस है । अतः आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदिका का नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 81/अ–6/2005–06 दर्ज किया जाकर दिनांक 24–6–2006 को आदेश पारित कर अनावेदिका का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये । तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर आवेदिका द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 29–5–2009 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश दिनांक 24–4–2006 निरस्त किया गया एवं प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया गया कि प्रकरण में सूक्ष्म जांच कर गुणदोष के आधार पर निराकरण किया जाये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदिका द्वारा द्वितीय अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और आयुक्त द्वारा दिनांक 31–10–2013 को आदेश पारित किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 29–5–2009 निरस्त करते हुये अपील स्वीकार की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में यह निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) कमलेश नायक की आवेदिका विधवा होने के कारण हिन्दू विधि अनुसार एवं धारा 164 संहिता के अनुसार वारिसान की प्रथम श्रेणी की पक्ति में आती है ।

(2) तहसीलदार को चाहिये था कि वह विधिवत मृतक कमलेश के वारिसान आवेदिका को सूचना देकर पटवारी व ग्रामवासियों से जानकारी प्राप्त कर वारिसानों की जानकारी के आधार पर आवेदिका का नाम दर्ज करते, लेकिन तहसीलदार द्वारा इस तरह की कोई कार्यवाही नहीं की गयी और आवेदिका के पीठ पीछे आदेश पारित किया गया है । यह भी

उल्लेखनीय है कि तहसीलदार के समक्ष अनावेदिका द्वारा सही तथ्य को छिपाते हुये आवेदिका को पक्षकार ही नहीं बनाया और कोई सूचना नहीं दी गई, जबकि आवेदिका आवश्यक व हितबद्ध पक्षकार होने के कारण उसे पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था । इस प्रकार प्रथम दृष्टया ही तहसीलदार का आदेश निरस्ती योग्य होने से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उचित रूप से निरस्त किया गया था, परन्तु आयुक्त ने इस बात को अनदेखा कर आवेदिका की अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर विधि की गंभीर भूल की है ।

(3) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया था, ऐसी स्थिति में अपील ग्राह्य न होते हुये आयुक्त ने अपील ग्राह्य कर आदेश पारित कर विधि के सम्यक अनुक्रम के विपरीत आदेश पारित किया गया है ।

(4) आयुक्त ने संहिता की धारा 109, 110 में वर्णित प्रावधानों को देखा ही नहीं ऐसा प्रतीत होता है कि आयुक्त एवं तहसीलदार ने इन धाराओं के आवश्यक प्रसंगों को अनदेखा करते हुए आदेश पारित किया है, जिस समाचार पत्र में प्रकाशन होने की बात कही गयी वह समाचार पत्र दैनिक नहीं है साप्ताहिक है और मात्र पिपरिया नगर में प्रकाशित होता है, यहां तक कि बनखेडी, चांदौन, दिवलाखेडी में जाता ही नहीं है । आवेदिका जो कि विधवा होने के बाद मायके में ही रहती थी, उसे मायके में ही सूचना देना थी एवं दोनों ही न्यायालयों को दायित्व था कि वह विधिक वारिसानों की जानकारी प्राप्त कर आदेश पारित करते । अनावेदिका यह भली भांति जानती है कि आवेदिका चांदौन निवास नहीं करती स्वच्छ हाथों से अनावेदिका निम्न न्यायालय के समक्ष नहीं आयी है ।

(5) आयुक्त ने तामीली के प्रावधानों के संबंध में अनुसूची कमांक 1 के नियम 4, 5, 7, 11, एवं 14 का हवाला दिया है । यही बात तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के संबंध में भी लागू होती है । इस प्रकार आयुक्त का आदेश विरोधाभासी आदेश होकर विधि विरूद्ध है, जो निरस्त किया जावे ।

(6) अनावेदिका द्वारा अपना नाम दर्ज कराने का अनुचित लाभ लेते हुए आवेदिका के पति के नाम की प्रश्नाधीन भूमि पर अपना नाम दर्ज कराकर आवेदिका को हानि पहुचाने

की नियत से बेईमानी पूर्वक उक्त भूमि में से आधी भूमि अर्थात 4.48 एकड़ भूमि का विक्रय दिनांक 9–4–2010 को किसी रामकिशन साहू जो कि उसका रिश्तेदार है के नाम से कर दी है और अनावेदिका, आवेदिका की भूमि को हड़पना चाहती है और बाकी आधी भूमि को बेचने के लिये भी प्रयासरत है ।

(7) अनावेदिका का प्रश्नाधीन भूमि में कोई हक स्वत्व अधिकार नहीं बचा हे और कमलेश नायक की मृत्यु पश्चात आवेदिका प्रथम श्रेणी की वारिस होने के कारण उसका नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किये जाने विषयक आदेश दिया जावे तथा आयुक्त होशंगाबाद का आदेश निरस्त किया जावे व तहसीलदार बनखेड़ी का आदेश निरस्त किया जावे ।

4/ अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है:–

(1) कमलेश की आयु वर्ष 1986 में मात्र 10 वर्ष की थी और उस समय रामगोपालजी द्वारा भूमि खसरा कमांक 255/3 रकबा 9.00 एकड़ स्वंय के नाम कय न करते हुए स्नेहवश अपने इकलौते पुत्र के नाम पंजीयत विकय पत्र कराया गया था, इस प्रकार कृषि भूमि बेनामी कमलेश के नाम थी ।

(2) कमलेश की शादी वर्ष 2005 में निगरानीकर्ता रंजना के साथ हुई थी, परन्तु दुर्भाग्य रहा कि पुत्र कमलेश की मृत्यु वर्ष 2006 में हो गई ।

(3) रामगोपालजी एवं अनावेदिका निगरानीकर्ता रंजना के दुख को समझते थे तथा अत्यधिक स्नेह व प्यार करते थे । चूँकि उक्त घटना के बाद रंजना अपने मायके में इच्छा पूर्वक निवास करना चाहती थी, ऐसी परिस्थिति में अनावेदिका एवं रामगोपाल जी द्वारा स्नेहवश व अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए निगरानीकर्ता के माता–पिता एवं रिश्तेदारों द्वारा जो सामान दिया गया एवं नगदी उसे सौप दिया एवं उसके भरण पोषण के लिये जो 9 एकड कृषि भूमि जो कमलेश के नाम बेनामी खरीदी थी उसे कोली पर देकर जो आमदनी होती थी, उसे जीवन यापन हेतु देने का वायदा किया था, जिससे आवेदिका सम्मान की जिंदगी जी सके इस हेतु एक अनुबंध पत्र रामगोपाल द्वारा दिनांक 17–3–2006

को लिखा गया, जिसमें शर्त यह थी कि आवेदिका_अगर पुनर्विवाह कर लेवेगी तो उसका भरण पोषण का अधिकार समाप्त हो जावेगा । आवेदिका द्वारा उक्त शर्तों को मान्य करते हुए हस्ताक्षर किये गये थे ।

(4) उक्त अनुबंध पत्र में रामगोपाल जी का निवास, पता भोपाल का लिखा हुआ है तथा रंजना को भली–भांति ज्ञात है कि अनावेदिका भोपाल में निवास करती है ।

(5) आवेदिका को इस बात का ज्ञान था कि उक्त भूमि नाम मात्र को पति कमलेश के नाम खरीदी गई है । उस पर कृषि कार्य रामगोपाल जी द्वारा ही किया जाता है तथा परिवार का पालन होता है, इस कारण आवेदिका द्वारा कभी भी उक्त भूमि पर अपना स्वत्व स्थापित नहीं किया गया ।

(6) अनावेदिका अस्थाई रूप से जहां जमीन है, वहां निवासरत होते हुए कृषि कार्य व देखभाल करती थी तथा उक्त भूमि के नामांतरण हेतु आवेदन दिया गया था, उक्त तथ्य की जानकारी आवेदिका को भली–भांति ज्ञात थी । आवेदिका को कोली की आय से उस समय तक मतलब था, जिस समय तक उसकी शादी नहीं हो जाती । इस बात की जानकारी आवेदिका को भली–भांति थी कि उक्त भूमि पर अनावेदिका का नाम राजस्व परिपत्रों में नाम अंकित हो गया है । यही कारण है कि आवेदिका द्वारा पति कमलेश की मृत्यु के उपरांत कभी भी फौती नामांतरण हेतु आवेदन नहीं दिया गया ।

(7) आवेदिका द्वारा चुपचाप से बगैर रामगोपाल जी व अनावेदिका को बताये वर्ष 2007–08 में विनोद कुमार साहू पुत्र हुकुमचंद साहू निवासी स्टेशन रोड हरचंद सेमरी तहसील सोहागपुर जिली होशंगाबाद से शादी कर ससुराल में निवास करने लगी ।

(8) ससुराल में आवेदिका के पति कमलेश के नाम पंजीयन विकय पत्र से भूमि होने का ज्ञान हुआ तो आवेदिका पर दबाब डाला गया तब उसके द्वारा वर्ष 2008 में यह जानते हुये कि भूमि अनावेदिका लक्ष्मीदेवी के नाम हो गई है तथा वे भोपाल में निवास करती है जहां पर स्वंय आवेदिका विवाह के बाद निवासरत थी, फिर भी आवेदिका द्वारा जब अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की तब जानबूझकर जानते हुए कि लक्ष्मीदेवी भोपाल में निवास करती है, फिर भी पुराने पते पर अपील प्रस्तुत कर दी गई। न्यायालय अनुविभागीय

अधिकारी द्वारा बार बार लक्ष्मीदेवी का सही पता बताने के निर्देश दिये गये, परन्तु फिर भी जानबूझकर सही पता न बताते हुए न्यायालय को गुमराह करते हुए दैनिक समाचार पत्र होशंगाबाद क्षेत्र में सूचना प्रकाशित की गई तथा एक पक्षीय आदेश प्राप्त कर लिया । उक्त आदेश की जानकारी जब अनावेदिका लक्ष्मीदेवी को ज्ञात हुई तब आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई तथा सूचना उपरांत आवेदिका रंजना न्यायालय आयुक्त के समक्ष अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुई थी, तब अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय महत्वपूर्ण बिन्दु था कि रंजना देवी द्वारा प्रथम अपील जब न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष की गई थी, उसमें अनावेदिका लक्ष्मीबाई पर विधिवत सूचना पत्र तामीली हुआ अथवा नहीं एवं न्यायालय द्वारा जो एकपक्षीय आदेश पारित किया गया वह विधि अनुसार है अथवा नहीं क्या रंजना देवी द्वारा गलत पता लिखाकर जो आदेश प्राप्त किया है, विधि अनुसार है अथवा नहीं ।

(9) आयुक्त के समक्ष यह विचारणीय बिन्दु था कि क्या अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदिका के लिये सूचना पत्र जारी किये है, वे वास्तव में विधि अनुसार है अथवा नहीं। अनावेदिका द्वारा वर्ष 2006 में अपना पता लिखवाया गया था, उसके बाद आवेदिका द्वारा 2 वर्ष बाद 2008 में अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, इन दो वर्षो में व्यक्ति का पता बदल सकता है । ऐसी परिस्थिति में सूचना तामीली करने वाले की रिपोर्ट को देखा जाना आवश्यक है, क्योंकि वर्ष 2008 में पता बदल चुका था, जिसकी जानकारी आवेदिका को ज्ञात थी, परन्तु फिर भी वह उसी पते पर सूचना तामीली कराते हुए होशंगाबाद के समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित कराती रही । उक्त कार्य नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों एवं अनुसूची 1 के नियम के विरूद्ध होने से आयुक्त द्वारा दिया गया आदेश न्यायसंगत है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदिका लक्ष्मीबाई पर सूचना पत्र की तामीली हेतु प्रस्तुत तलबाने में भोपाल के पते का उल्लेख है, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भोपाल

के पते पर सूचना पत्र जारी नहीं किया गया है और न ही अनावेदिका पर सूचना पत्र की तामीली कराई गई है । आवेदिका द्वारा पुनः तलबाना प्रस्तुत कर अनावेदिका का पूरा स्पष्ट पता प्रस्तुत किया गया है, परन्तु इसके बावजूद भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भोपाल स्थित पते पर न तो कोई सूचना पत्र जारी किया गया है और न ही तामीली कराई गई है । इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनुसूची 1 नियम 4, 5, 7, 11 एवं 14 का पालन नहीं कर पेपर में प्रकाशन की अनुमति दी गई है, जो कि विधिसंगत कार्यवाही नहीं ठहराई जा सकती है । जिस समाचार पत्र में प्रकाशन कराया गया है, वह दैनिक अखबार नहीं होकर साप्ताहिक है और केवल होशंगाबाद में ही प्रकाशित होता है, जबकि अनावेदिका भोपाल में निवास करती है । स्पष्ट है अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदिका के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश पारित करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से यह वैधानिक स्थिति भी स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील लगभग डेड़ वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है और आवेदिका की ओर से विलम्ब क्षमा हेतु आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया है, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं कर अवधि बाह्य अपील में गुणदोष पर आदेश पारित करने में विधि विपरीत कार्यवाही की गई है । उपरोक्त वैधानिक एवं तथ्यात्मक स्थिति पर विचार कर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है, इसलिए उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–10–2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर